रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219123
CG-DL-E-24042020-219123

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
No. 154] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.057.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये 28 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (गक) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा ।"।

3. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में,-

(i) खंड (ख) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जब कोई व्यक्ति भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2020 तक, यथास्थिति, उसका निदेशक या भागीदार नहीं रह जाता है, तब दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसा निदेशक या भागीदार न रहने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी;";

(ii) खंड (ग) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु जब कोई व्यक्ति भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से और 31 दिसम्बर, 2020 तक, यथास्थिति, उसके निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करता है, तब दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसे निदेशक या भागीदार के रूप में प्रवेश करने के तीस दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी;";

(iii) खंड (गक) में, अंत में आने वाले "30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा; और" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएंगा, अर्थात्:-

"30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगी; और"।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /10/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्-

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 125, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.027, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2018;

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 384, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036, तारीख 11 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018;

(3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 257, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.045, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2019; और

(4) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 367, तारीख 25 अक्तूबर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.049, तारीख 25 अक्तूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के शासी बोर्ड ने तारीख 28 मार्च, 2020 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 में संशोधन करने का विनिश्चय किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप 25 मार्च, 2020 से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन के कारण विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जा सकी। अतः संशोधनकारी विनियमों को 28 मार्च, 2020 से प्रभावी करने की दृष्टि से इस टिप्पण के साथ बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित किया गया था कि उन्हें भारत के राजपत्र में तब प्रकाशित किया जाएगा जैसे ही भारत सरकार का मुद्रणालय इसे प्रकाशनार्थ स्वीकार करता है। शासी बोर्ड का आशय संशोधित विनियमों को 28 मार्च, 2020 से प्रवृत्त करना था।

यह प्रमाणित किया जाता है कि चूंकि संशोधित विनियम दिवाला व्यावसायिकों और दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा फीस के विलंबित संदाय को सुकर बनाते हैं इसलिए इन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2020-21/GN/REG057.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 28th March, 2020.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 7, in sub-regulation (2), in clause (ca), the following shall be inserted, namely: —

"Provided that for the financial year 2019-2020, an insolvency professional shall pay the fee under this clause on or before the 30th June, 2020.".

3. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (2), -

(i) in clause (b), the following shall be inserted, namely: -

"Provided that when an individual ceases to be its director or partner, as the case may be, on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2020 and ending on the 31st December 2020, the insolvency professional entity shall inform the Board, within thirty days of such cessation;";

(ii) in clause (c), the following shall be inserted, namely: -

"Provided that when an individual joins as its director or partner, as the case may be, on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2020 and ending on the 31st December 2020, the insolvency professional entity shall inform the Board, within thirty days of such joining;";

(iii) in clause (ca), for "Second Schedule; and", occurring at the end, the following shall be substituted, namely: -

"Second Schedule:

"Provided that for the financial year 2019-2020, an insolvency professional entity shall pay the fee under this clause on or before the 30th June, 2020; and".

DR. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./10/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were subsequently amended by-

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG027 dated the 27th March, 2018 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 125 on 28th March, 2018;

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG036 dated the 11th October 2018 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 384 on 11th October, 2018;

(3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG045 dated the 23rd July 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 257 on 23rd July 2019; and

(4) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Second Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG049 dated the 25th October 2019 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 367 on 25th October 2019.

Explanatory Memorandum

The Governing Board of the Insolvency and Bankruptcy Board of India decided on 28th March, 2020 to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016. The notification amending the regulations could not be published in the Gazette of India, due to the nationwide lockdown declared by the Central Government w.e.f. 25th March, 2020, in the wake of the outbreak of Covid-19. The amendment regulations were, therefore, published on the website of the Board for it to be effective from the 28th of March, 2020, with a note that the same shall be published in the Gazette of India as soon as the Government Press accepts the notification for publication. The intention of the Governing Board was to bring into force the amended regulations with effect from the 28th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.24 19:30:02 +05'30'